उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 25.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.08.2025
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'साइबर जागरुकता' अभियान।**
- **महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों, गुड टच-बैड टच एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 24.08.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना चरखारी एवं महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों में जाकर वहां मौजूद बच्चियों तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति एवं साइबर जागरुकता अभियान के अन्तर्गत जागरुक किया गया साथ ही साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 25.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा चरखारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त ओमकार पुत्र सिद्धगोपाल माली उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 पठवापुरा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं0 348/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना खरेला व केश नं0 53/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चरखारी व कुर्की अन्तर्गत धारा 83/84/85 CRPC में मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे.एम. चरखारी द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को मु0 पठवापुरा कस्बा व थाना चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

ओमकार पुत्र सिद्धगोपाल माली उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 पठवापुरा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा चरखारी

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 25.08.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

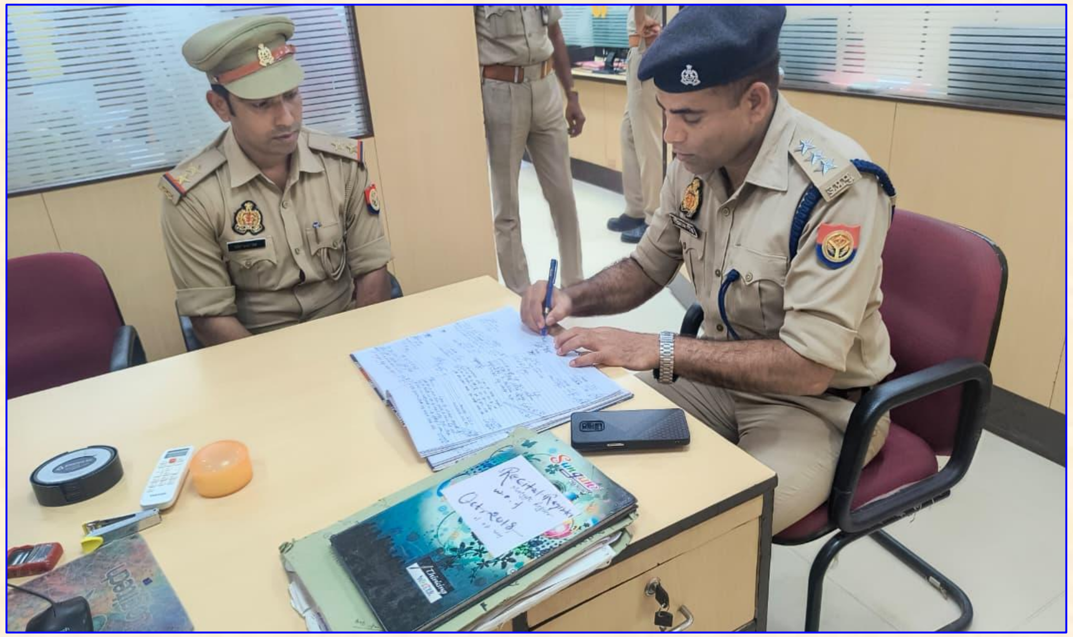

महोबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही – थाना महोबकंठ एवं जनपदीय स्वॉट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने थाना महोबकंठ क्षेत्र में हुई लूट की घटना का किया सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 02 कारतूस, आभूषण, नकदी (लूट की सम्पत्ति) व घटना में प्रयुक्त 02 मो0सा0 बरामद- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली संयुक्त पुलिस टीम को ₹25,000 का पुरस्कार प्रदान किया गया।

दिनांक 17.08.2025 को वादी देशराज पुत्र नाथूपल निवासी ग्राम जगसिया थाना अजनर ने थाना महोबकंठ पर तहरीर दी कि जब वह अपनी बहन को उनकी ससुराल इमलिया छोड़ने जा रहा था, तभी ग्राम पिपरी के पास अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ लूट की घटना घटित कर आभूषण, मोबाइल फोन एवं नगद रु. छीन लिया। इस संबंध में थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 134/25, धारा 309(6) BNS पंजीकृत किया गया।

घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह तत्काल घटना स्थल पहुंचे और निरीक्षण कर शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया। उनके आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार तथा स्वॉट टीम प्रभारी श्री शिवप्रताप सिंह के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

घटना के अनावरण हेतु गठित संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना से सम्बन्धित वैज्ञानिक व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से आपराधिक प्रवृत्ति के संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश/पूछताछ की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 25.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम घुटई चौराहा के पास घेराबंदी की और संदिग्ध गतिविधि में लिप्त 05 अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार किया।

पूछताछ का विवरण :-

गिरफ्तार अभियुक्त गजराज राजपूत ने बताया कि उसी ने योजना बनाकर अपने साथियों को वारदात हेतु भेजा था। सभी ने मिलकर स्वीकार किया कि हम लोगों द्वारा ही **ग्राम पिपरी व घुटई के बीच सड़क पर लूट की घटना** कारित की गई थी। अभियुक्तगण ने बरामद दोनों मोटरसाइकिलों का प्रयोग उपरोक्त घटना में किया जाना स्वीकार किया है।

अभियुक्त नितेन्द्र, विकास, राजेश एवं कल्याण ने बताया कि इन्होंने दिनांक 01.08.2025 की रात्री को ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर क्षेत्र में भी राहगीर से नगदी व आभूषण की छिनैती की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना श्रीनगर में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 152/25 धारा 304(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

बरामदगी :

- 02 अदद तमंचा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस
- पीली धातु के आभूषण (02 मंगलसूत्र, 01 मनचली, 01 जोड़ी झुमकी, 04 बेलनाकार गुरिया)
- ₹4000 नगद
- 01 अदद मोबाइल फोन रेडमी वाई-2 (मय चार्जर, क्षतिग्रस्त)
- 02 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर (एक बिना नम्बर, एक UP 95 U 5047, काला रंग)
- 01 अदद जंजीर सफेद धातु

महोबा पुलिस

गिरफ्तार अभियुक्तगण :

1. नितेन्द्र राजपूत पुत्र रामकिशन उम्र 28 वर्ष
2. विकास राजपूत पुत्र कल्लू उम्र 19 वर्ष
3. राजेश राजपूत पुत्र बाबूलाल उम्र 28 वर्ष
4. कल्याण राजपूत पुत्र रामदेव उम्र 20 वर्ष
5. गजराज राजपूत पुत्र खलक उम्र 22 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम बगवाहा थाना कुलपहाड़ महोबा।

पुलिस कार्यवाही एवं धारा बढोत्तरी-

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 134/25 धारा 309(6)BNS में धारा 317(2)/61(2) BNS व बरामद अवैध शस्त्र के सम्बन्ध में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। बरामद 02 अदद मोटरसाइकिलों को धारा 207 MV Act के अंतर्गत सीज किया गया है। प्रकरण में थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु.अ.सं. 152/25 धारा 304(2) BNS में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

थाना महोबकंठ पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार
2. व0उ0नि0 कन्हैया लाल
3. उ0नि0 फूल सिंह
4. हे0कां0 विनय सोमवंशी
5. हे0कां0 चालक विनोद कुमार
6. कां0 अमित कुमार

जनपदीय स्वॉट/सर्विलांस टीम-

1. प्रभारी स्वॉट/सर्विलांस श्री शिव प्रताप सिंह
2. उ0नि0 विवेक यादव
3. कां0 दीपक वर्मा
4. कां0 रंजीत सिंह
5. कां0 आशीष बघेल
6. कां0 निर्भय सिंह
7. कां0 कुलदीप यादव
8. कां0 सत्यम सिंह जादौन
9. कां0 अभिषेक दुबे